न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद संख्या :– 07 / 2020

नानालाल पिता भुरा जी जाति धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1. घीसालाल पिता परथु जी जाति धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
2. शाखा प्रबंधक चितौडगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा बेगूँ
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री ईफ्तेखार अजमेरी
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–13.02.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी के निजी खातेदारी की भूमि मौजा बलवन्तनगर प.ह. कादुन्दा में स्थिरत है जिसके खाता संख्या 47 में अंकित आराजी संख्या 1833मी रकवा 0.1400 हैक्टर भूमि राजर्स्व रेर्कार्ड में दर्ज स्थित है। यह कि वादी नानालाल की निजी खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 2037 / 1833 व आ.नं. 1962 / 1834 के वीच स्थिरत है वादी के खातेदारी की भूमि 1833 मी है। जिसका रकवा 0.1400 हैक्टर है प्रतिवादी संख्या 1 घीसालाल ने वादी की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि 1962 / 1834 में मिला लिया है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि वादी का आराजी नम्बर 1833 मी भूमि 2037 / 1833 व 1962 / 1834 के वीच होने का लाभ उठाकर प्रतिवादी घीसालाल ने भूमि को कब्जे में ले लिया है और प्रतिवादी संख्या 1 वादी की भूमि 1833 मी को हडपना चाहता है और प्रतिवादी कहता है कि वहा भूमि ही स्थित है जव की भूमि की स्थिति स्पष्ट होती है।

यह कि प्रतिवादी घीसालाल वादी के स्वजाति का होने से और प्रतिवादी ने लोगो के संख्या वल के आधार पर भूमि पर जवरन कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी घीसालाल ने लगभग डेढ वर्ष वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है जिसका की उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रतिवादी को वादी ने दिनांक 10.06.2019 को कब्जा छोडने को कहा तो प्रतिवादी ने कब्जा छोडने से इंकार कर दिया जिससे दिनांक 10.06.204'9 से निरंतर वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। वर्णित भूमि वैंक के रहन होने से वैंक शाखा को पक्षकार बनाया गया है। तथा वाद भूमि न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमा निम्न अनुतोष की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें:–

(क) कि मौजा बलवन्तनगर प.ह. कादुन्दा में वादी की खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 1833मी रकवा 0.1400 हैक्टर भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से पुनः वादी को कब्जा सिपुर्द कराये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

(ग) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रदान कराया जावें।

दावा वादी का न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये जवकि प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार न्यायालय मे उपस्थित आए उनको वादपत्र का जवाव प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवावदावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 का जवाव वन्द किया जाना के आदेश दिया गया। प्रकरण में वादी की एक तरफा साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ वादी नानालाल पिता भूरा जाति धाकड, व गवाह जमनालाल पिता मोहनलाल धाकड एवं गवाह जमनालाल पिता हजारी वलाई के प्रस्तुत किये गये जिनमें से वादी नानालाल के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

शपथ पत्र पर मुख्यपरीक्षण के दौरान दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श गया तथा वादी से प्रतिवादी न होने से पुनः परीक्षण व जिरह निल रही है। मामला तरफा का होने से अन्य गवाह से जिरह नहीं की गई है। इस प्रकार प्रकरण में वादी व के गवाह की साक्ष्य पूर्ण होने पर तथा प्रतिवादीगण के उपस्थित न होने से प्रकरण में धिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को सुना गया जिन्होने अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार ही वादी को खातेदार बताते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने से पुनः कब्जा वादी को दिलाने की डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

दावा पत्रावली में एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा बलवन्तनगर प0ह0 काटुन्दा सम्वत 2072 से 2075 में दर्ज आराजी संख्या 1833मी रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि के खातेदार वादी श्री नानालाल पिता भूरा धाकड खातेदार दर्ज अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श– 2 व प्रदर्श–3 एवं प्रदर्श– 3 नक्शा किश्तवार का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वादी वाद वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये तथा ना ही कोई जवाब आदि प्रस्तुत नहीं किया है। हमारी विनम्र राय से किसी भी खातेदार की भूमि पर यदि कोई अन्य व्यक्ति जबरन कब्जा करता है तो वह अनाधिकृत कब्जा होकर पूर्णरूप से अतिक्रमण की परिभाषा में आता है। जिसे तत्काल हटाया जाकर भूमि सम्बन्धित खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में दिलाये जाने के प्रावधान है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा डिक्री किया जाता है। वादी के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बलवन्तनगर पटवार हल्का काटून्दा के खसरा नम्बर 1833मी रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 घीसालाल पिता परथु धाकड निवासी बलवन्तनगर का कब्जा तत्काल हटाया जाने व कब्जा वादी नानालाल पिता भुरा धाकड निवासी बलवन्तनगर को उनके खातेदारकी भूमि का कब्जा सिपुर्द किया जाने के निर्देश तहसीलदार बेगूँ को दिये जाते है। अंतिम डिक्री प्रथक से तैयार की जाकर डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद संख्या :– 07/2020

नानालाल पिता भुरा जी जाति धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. घीसालाल पिता परथु जी जाति धाकड निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
2. शाखा प्रबंधक चितौडगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा बेगूँ
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईफ्तेखार अजमेंरी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 183 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 13.02.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा डिक्री किया जाता है। वादी के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बलवन्तनगर पटवार हल्का काटून्दा के खसरा नम्बर 1833मी रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 घीसालाल पिता परथु धाकड निवासी बलवन्तनगर का कब्जा तत्काल हटाया जाने व कब्जा वादी नानालाल पिता भुरा धाकड निवासी बलवन्तनगर को उनके खातेदारकी भूमि का कब्जा सिपुर्द किया जाने के निर्देश तहसीलदार बेगूँ को दिये जाते है। अंतिम डिक्री प्रथक से तैयार की जाकर डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 13.02.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/93 दिनांक :– 19-2-25

दावा संख्या 07/2020 व अनवान नानालाल बनाम घीसालाल वगै दावा 183 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ